न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 102/2022

1. अंग्रेज सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखपाल कौर पत्नी जगदेव जाति जटसिख निवासी 6 एफ डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. रणजीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश उपतहसीलदार, गजसिंहपुर दिनांक 21.09.2022 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 02 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता।

आदेश

दिनांक : 30/01/2023

अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस के पूर्वज बूटा सिंह के नाम से चक 6 एफ डी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं 10 के 6.610 हैक्टयर बारानी भूमि काफी समय से टीसी पर चली आ रही थी। बूटा सिंह के देहांत के बाद अपीलान्टस वारिसान का कब्जा में चला आ रहा है तथा अपीलान्टस ने पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र भी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्धारित पपत्र में आवेदन पत्र पेश किया हुआ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को गलत तौर अतिक्रमी मान कर गलत तौर आदेश दिनांक 10.08.2022 पारित किया तथा जवाब पेश करने के बावजूद भूमि को निलाम करने व अपीलान्टस को बेदखल करने का आदेश दिनांक 21.09.2022 जारी कर दिया गया है तथा निलामी की कार्यवाही की जा रही है। धारा 90 बी के प्रावधानो के अनुसार अपीलांटस का कब्जा उपरोक्त भूमि पर निरंतर संवत् 2010 से चला आ रहा होने से अपीलांटस को कानून बेदखल नहीं किया जा सकता मगर अपीलांटस भूमि व फसल नीलाम कर बदेखल किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जकार आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्टस के पूर्वज बूटा सिंह के नाम से चक 6 एफ डी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं 10 के 6.610 हैक्टयर बारानी भूमि काफी समय से टीसी पर चली आ रही थी। बूटा सिंह के देहांत के बाद अपीलान्टस वारिसान का कब्जा में चला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)

Scanned with CamScanner

आ रहा है तथा अपीलान्टस ने पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र भी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्धारित पपत्र में आवेदन पत्र पेश किया हुआ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को गलत तौर अतिक्रमी मान कर गलत तौर आदेश दिनांक 10.08.2022 पारित किया तथा जवाब पेश करने के बावजूद भूमि को निलाम करने व अपीलान्टस को बेदखल करने का आदेश दिनांक 21.09.2022 जारी कर दिया गया है तथा निलामी की कार्यवाही की जा रही है। धारा 90 बी के प्रावधानो के अनुसार अपीलांटस का कब्जा उपरोक्त भूमि पर निरंतर संवत् 2010 से चला आ रहा होने से अपीलांटस को कानून बेदखल नहीं किया जा सकता मगर अपीलांटस भूमि व फसल नीलाम कर बदेखल किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार की जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, क्योंकि भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम से टी.सी. हुई है। मौका पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के कार्यालय में नियमन प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में अभिकथन किये है कि अपीलांट टी. सी. आवंटन के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर काबिज है जबकि अपीलांट द्वारा पत्रावली में टी.सी. आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अपीलांट द्वारा अपनी बहस में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कार्यालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 (बी) पेश किया हुआ है। अतः अपीलांटस को स्वयं प्रश्नगत भूमि को रकबा राज मानकर नियमन करवाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रश्नगत भूमि का रकबा राज होना साबित है। अपीलांटस द्वारा टी.सी. आवंटन के आधार पर काबिज होना दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव मे साबित नहीं हुआ है।

अतः मेरे विनम्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2022 को यथावत रखा जाता हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner